

न्यायालय सहायक कलक्टर, (SDO) बाड़मेर

नाम पीठासीन अधिकारी :- श्री नीरज मिश्र आर.ए.एस.

राजस्व वाद संख्या :- 135/2017

वादी

1 हेतुसिंह पुत्र नारखानसिंह
जाति रावणा राजपूत निवासी
मुरटाला गाला, महाबार.
तहसील व जिला बाड़मेर।

बनाम

प्रतिवादीगण

1 चन्दणसिंह पुत्र श्री नारखानसिंह
जाति रावणा राजपूत निवासी मुरटाला
गाला, महाबार तहसील व जिला
बाड़मेर 2 तहसीलदार बाड़मेर

उपस्थिति :-

राजस्व वाद अन्तर्गत धारा 53, 88 व 188 RTA Act.

1. श्री राजेश विश्वा, वकील वादी पक्ष।

निर्णय

दिनांक 04.07.18

वादी द्वारा प्रस्तुत वाद पत्र के संक्षिप्त तथ्य इस प्रकार है कि वादी एवं प्रतिवादी संख्या 01 की संयुक्त खातेदारी की भूमि मौजा मुरटाला गाला पटवार क्षेत्र महाबार तहसील व जिला बाड़मेर के खसरा संख्या 873 रकबा 18.06 बीघा, खसरा संख्या 874 रकबा 0.06 बीघा, खसरा संख्या 878 रकबा 29.16 बीघा, खसरा संख्या 2450/871 रकबा 17.18 बीघा, खसरा संख्या 2451/871 रकबा 0.05 बीघा कुल रकबा 66.11 बीघा भूमि आई हुई है। उक्त भूमि में वादी का 1/2 हिस्सा तथा प्रतिवादी संख्या 01 का 1/2 हिस्सा आया हुआ है उसी अनुसार मौके पर कब्जा काशत करते आ रहे हैं। मौके पर कब्जे खुले हुए नहीं होने के कारण हिस्से को लेकर विवाद रहता है। प्रतिवादी संख्या 01 भूमि का बंटवाड़ा करवाये बिना अजनबी व्यक्तियों को वादग्रस्त भूमि का बेचार करने में आमदा है। वादी अपनी कब्जा काशत की 1/2 भूमि का बाई मीट्स एण्ड बाउण्ड पृथक करवाने का अधिकारी है।

वाद दर्ज रजिस्टर कर प्रतिवादीगण को जरिये नोटिस तलब किया गया।

प्रतिवादी संख्या 01 ईकतरफा। वादी की शाहदत में वादी स्वयं उपस्थित होकर वाद कथन को स्वीकार किया।

ईकतरफा बहस सुनी गई। पत्रावली का अवलोकन किया गया। प्रकट तथ्यों एवं राजस्व अभिलेख जमाबन्दी सम्वत् 2072-2075 के अवलोकन से ज्ञात होता है कि मौजा मुरटाला गाला पटवार क्षेत्र महाबार तहसील व जिला बाड़मेर के खसरा संख्या 873 रकबा 18.06 बीघा, खसरा संख्या 874 रकबा 0.06 बीघा, खसरा संख्या 878 रकबा 29.16 बीघा, खसरा संख्या 2450/871 रकबा 17.18 बीघा, खसरा संख्या 2451/871 रकबा 0.05 बीघा कुल रकबा 66.11 बीघा भूमि में वादी का 1/2 तथा प्रतिवादी संख्या 01 का 1/2 हिस्से में खातेदारी घोषित करवाने के अधिकारी है।

अतः वादी द्वारा प्रस्तुत वाद प्राथमिक रूप से स्वीकार किया जाकर मौजा मुरटाला गाला पटवार क्षेत्र महाबार तहसील व जिला बाड़मेर के खसरा संख्या

प्रमाणित

अतिरिक्त प्रशासिक अधिकारी,
कलेक्ट्रेट बाड़मेर

सहायक कलक्टर
(SDO) बाड़मेर

निर्णय किया गया
सही पाना

873 रकबा 18.06 बीघा, खसरा संख्या 874 रकबा 0.06 बीघा, खसरा संख्या 878 रकबा 29.16 बीघा, खसरा संख्या 2450/871 रकबा 17.18 बीघा, खसरा संख्या 2451/871 रकबा 0.05 बीघा कुल रकबा 66.11 बीघा भूमि में वादी का 1/2 हिस्सा तथा प्रतिवादी संख्या 01 का 1/2 हिस्सा खातेदारी का घोषित किया जाता है। प्राथमिक डिकरी जारी हो। तहसीलदार बाडमेर को मौका कमीशनर नियुक्त किया जाकर निर्देश दिये जाते हैं कि मौजा मुरटाला गाला पटवार क्षेत्र महाबार तहसील व जिला बाडमेर के खसरा संख्या 873 रकबा 18.06 बीघा, खसरा संख्या 874 रकबा 0.06 बीघा, खसरा संख्या 878 रकबा 29.16 बीघा, खसरा संख्या 2450/871 रकबा 17.18 बीघा, खसरा संख्या 2451/871 रकबा 0.05 बीघा कुल रकबा 66.11 बीघा भूमि में वादी की 1/2 हिस्सा, प्रतिवादी संख्या 01 को 1/2 का हिस्सा की कब्जा काश्त की भूमि का पक्षकारान एवं मौतविरान की उपस्थिति में विभाजन का प्रस्ताव तैयार कर एक माह में उपलब्ध करवाये। कमीशनर शुल्क रू. 1500/- निर्धारित की जाती है जो वादी द्वारा मौके पर अदा की जायेगी।



(नीरज मिश्र)
उपखण्ड अधिकारी
एवं पदेन सहायक कलक्टर
बाडमेर

निर्णय आज दिनांक 04.7.19 को सरें इजलास सुनाया गया।

प्रमाणित
30/8/19
अभियंता प्रशासनिक अधिकारी
कलेक्टर बाडमेर

उपखण्ड अधिकारी
एवं पदेन सहायक कलक्टर
बाडमेर
शिलान लिखत गया
सही पाव

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी एवं पदेन सहायक कलक्टर, बाड़मेर
पीठासन अधिकारी श्री नीरज मिश्र (आर.ए.एस.)
अनवान

प्राथमिक डिक्री

वादी
1 हेतुसिंह पुत्र नारखानसिंह जाति
रावणा राजपूत निवासी मुरटाला गाला,
महाबार तहसील व जिला बाड़मेर।


प्रतिवादीगण
1 चन्दणसिंह पुत्र श्री नारखानसिंह जाति
रावणा राजपूत निवासी मुरटाला गाला,
महाबार तहसील व जिला बाड़मेर
2 तहसीलदार बाड़मेर

दावा बाबत् 88, 53, 188 रा.का.अ.
मुकदमा नम्बर :- 135/2017
निर्णय दिनांक :- 04.07.2019

वकील वादी की उपस्थिति में इस वाद में आज तारीख 04.07.2019 को श्री नीरज मिश्र, सहायक कलक्टर (उपखण्ड अधिकारी) बाड़मेर के समक्ष अन्तिम निपटारे के लिए पेश होने पर, आदेश किया जाता है और प्राथमिक डिक्री निम्नप्रकार दी जाती है कि :-

वादी द्वारा प्रस्तुत वाद प्राथमिक रूप से स्वीकार किया जाकर मौजा मुरटाला गाला पटवार क्षेत्र महाबार तहसील व जिला बाड़मेर के खसरा संख्या 873 रकबा 18.06 बीघा, खसरा संख्या 874 रकबा 0.06 बीघा, खसरा संख्या 878 रकबा 29.16 बीघा, खसरा संख्या 2450/871 रकबा 17.18 बीघा, खसरा संख्या 2451/871 रकबा 0.05 बीघा कुल रकबा 66.11 बीघा भूमि में वादी का 1/2 हिस्सा तथा प्रतिवादी संख्या 01 का 1/2 हिस्सा खातेदारी का घोषित किया जाता है। प्राथमिक डिकरी जारी हो। तहसीलदार बाड़मेर को मौका कमीशनर नियुक्त किया जाकर निर्देश दिये जाते हैं कि मौजा मुरटाला गाला पटवार क्षेत्र महाबार तहसील व जिला बाड़मेर के खसरा संख्या 873 रकबा 18.06 बीघा, खसरा संख्या 874 रकबा 0.06 बीघा, खसरा संख्या 878 रकबा 29.16 बीघा, खसरा संख्या 2450/871 रकबा 17.18 बीघा, खसरा संख्या 2451/871 रकबा 0.05 बीघा कुल रकबा 66.11 बीघा भूमि में वादी की 1/2 हिस्सा, प्रतिवादी संख्या 01 को 1/2 का हिस्सा की कब्जा काश्त की भूमि का पक्षकारान एवं मौतबिरान की उपस्थिति में विभाजन का प्रस्ताव तैयार कर एक माह में उपलब्ध करवाये। कमीशनर शुल्क रु. 1500/- निर्धारित की जाती है जो वादी द्वारा मौके पर अदा की जायेगी।

यह आज तारीख 04.07.2019 को मेरे हस्ताक्षर से और न्यायालय की मुद्रा लगाकर दी गई।



प्रमाणित
अतिरिक्त प्रशासनिक अधिकारी
कलेक्टर बाड़मेर

(नीरज मिश्र)
सहायक कलक्टर
उपखण्ड अधिकारी एवं पदेन सहायक कलक्टर, बाड़मेर

वाद के खर्चे

वादी	रुपया	प्रतिवादी	रुपया
1 वाद पत्र के लिए स्टाम्प		शक्ति पत्र के लिए स्टाम्प	
2 शक्ति पत्र के लिए स्टाम्प		अर्जी के लिए स्टाम्प	
3 प्रदर्शों के लिए स्टाम्प		प्लीडर की फीस	
4 रुपये पर प्लीडर की फीस		साक्षियों के लिए निर्वाह व्यय	
5 साक्षियों के लिए निर्वाह-व्यय		आदेशिका की तामील	
6 कमीशनर की फीस		कमीशनर की फीस	
7 आदेशिका की तामील			
जोड़		जोड़	

निस्तान किया गया
सही सत्य

